

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(प्रशासन शाखा)

Diary No. 574 DD(17) 28
Date 15/05/25
Computer Division (DUSIB)
Govt. of NCT of Delhi

क्रमांक: GA/1076/27/प्रशासन/विविध/2020/डी- 443

दिनांक: 15.05.2025

अग्रसारित

निम्नलिखित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	परिपत्र सं. और दिनांक	विषय
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई. पी. एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/ 439-454 दिनांक-29.04.2025	राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध।
2.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/ 310-360 दिनांक- 29.04.2025	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।
3.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/ 707-717 दिनांक- 29.04.2025	प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में।
4.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/ 534-544 दिनांक-29.04.2025	राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन।
5.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/ 259-309 दिनांक-29.04.2025	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/ हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।
6.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/374-424 दिनांक-29.04.2025	सरकारी भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपट्ट हिन्दी के साथ-साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।

7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई. पी. एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/194-244 दिनांक-29.04.2025	नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे, मैनुयल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इशतहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी।
8.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/652-702 दिनांक-29.04.2025	“दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000” के कार्यान्वयन के संबंध में।
9.	---ऊपरोक्त---	फा.स.08(06)/2019-20/क्र. सं. एवं भाषा/469-519 दिनांक-29.04.2025	दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अन्तर्गन्ध।

संलग्न:- ऊपरोक्त अनुसार

उप. निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ अग्रसारित:-

1. निजी सचिव(मुख्य कार्यकारी अधिकारी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
2. निजी सचिव/ सदस्य(प्रशा./इंजी./वित्त) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
3. सभी अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता / समन्वयक।
4. सभी प्रधान निदेशक/निदेशक/उप निदेशक(दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड)।
5. बजट और निधि अधिकारी/ उप मुख्य लेखा-1&II
6. सक्षम प्राधिकारी, तीस हजारी न्यायालय।

7. उप निदेशक(आईटी/सिस्टम) - दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें। - 01
8. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

for
16/5/25
Programmer